रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 304] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 1973/अग्रहायण 24, 1895

No. 304] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15, 1973/AGRAHAYANA 24, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th December 1973

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for 1973-74—Registration of export contracts (Amendment No. 71).*

No. 219-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the provisions pertaining to "Registration of Export Contracts" as contained in paragraphs 56 to 64 of Part 'B', Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. II) for April 1973—March 1974, read with the clarification issued under the Ministry of Commerce Public Notice No. 173-ITC(PN)/73, dated 24th October, 1973.

2. The existing paragraph 64 referred to above may be re-numbered as "64(1)" and the following new sub-paragraphs may be added thereafter:—

"(2) The provisions made in sub-para (1) above will also apply in cases where the Indian exporter is a sub-contractor and the main contractor is a foreign party *whose tender has been accepted,* provided the name of the Indian exporter appears as a sub-contractor in the tender and in the main contract.

(3) These provisions regarding registration of export contracts and for the grant of import replenishment licences against registered contracts will also apply in the following cases:—

(a) Where an Indian exporter enters into a contract with a foreign Government or foreign public utility, for which there was no tender, the date

on which the Indian exporter made the 'offer' will be taken as the crucial date for determining the import replenishment due (instead of the date of the contract).

(b) Where an Indian exporter enters into a sub-contract, the main contractor is a foreign party and there was no tender for the main contract, the date on which the Indian exporter made the 'offer' in pursuance of which the sub-contract has been finalised, will be taken as the crucial date for determining the import replenishment due (instead of the date of the contract), provided the name of the Indian exporter appears as a sub-contractor in the main contract.

(c) In cases covered by (a) and (b) above, the date of 'offer' will be taken as the crucial date only if there is no price variation between the date of submission of the 'offer' and acceptance of the same and subject to other conditions laid down. In cases where there is a variation at the time of acceptance of the 'offer', only the later date, *i.e.* the date of acceptance of the 'offer' will be taken as the crucial date.

(d) Certified copies of 'offers' in such cases should be sent by the Indian exporters, duly signed by them, in closed sealed cover under Registered A.D. by name to Shri K. S. Gupta, Joint Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhavan, New Delhi, simultaneously but at any rate not later than five days from the date of the 'offer'. If there is any change in the first offer', a copy of the second or subsequent 'offer', duly signed, should be sent in the same manner to the officer named above.

(e) In the event of an 'offer' having been finally accepted, and a contract signed, the Indian exporter should register the contract with an authorised dealer in foreign exchange through whom the relevant export documents are negotiated, within 30 days of the signing of the contract, in accordance with the procedure laid down for registration of contracts. The exporter should also send a certified copy of the contract to the designated officer named above in a Registered A.D. cover within 10 days of the signing of the contract.

(f) After the certified copy of the contract has been received, the offer(s) already received will be opened in the presence of the authorised representative of the exporter and compared with the terms of the contract. If there is no variation between the 'offer' and the 'contract', the date of 'offer' will be taken as the crucial date for determining the import replenishment due.

(g) The determination of 'crucial' date referred to in (f) above will be subject to the approval of the Chief Controller of Imports and Exports and subject to other conditions and the policy applicable from time to time in respect of such cases and the benefits available to registered contracts under the import policy for Registered Exporters.

(h) The Chief Controller of Imports and Exports or the designated officer named above will be free to make any enquiries he may consider necessary in regard to the 'offer' and the 'contract' in order to decide about the eligibility of the claim under this policy.

(i) The prescribed minimum delivery period of six months will be waived in respect of such contracts, and contracts having a lesser delivery period will also be registered if otherwise in order.

(4) The provisions made in sub-paras (2) and (3) above, will apply only to those cases in which the 'sub-contract' or the 'offer', as the case may be, is made on or after the date of this Public Notice.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1973

विषय :—1973–74 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात–नीति-निर्यात सविदाओं का पंजीकरण (संशोधन) संख्या 71)

संख्या 219/आई० टी०सी० (पी०एन०)/73:—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 173–आई०टी०सी० (पी०एन०)/73 दिनांक 24 अक्तूबर, 1973 के अन्तर्गत जारी किए गए स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जाने वाले अप्रैल, 1973 मार्च–1974 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण निति (रेड बुक वा० 2) के भाग "बी" खंड 1 की कंडिकाएं 56 से 64 में यथा निहित "संविदाओं के पंजीकरण" से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. ऊपर उल्लिखित वर्तमान कंडिका 64 को "64(1)" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए और उसके बाद निम्नलिखित नई उप-कंडिका जोड़ी जाए :—

(2) उपर्युक्त उप-कंडिका (1) में दी गई व्यवस्थाएं उन मामलों में भी लागू होंगी जहां पर भारतीय निर्यातक उप-संविदाकर्ता है और प्रधान संविदाकर्ता एक विदेशी पार्टी और जिसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है बशर्ते कि उप-संविदाकर्ता के रूप में आए हुए भारतीय निर्यातक का नाम निविदा में और प्रधान संविदा में है।

(3) निर्यात संविदाओं के पंजीकरण और पंजीकृत संविदाओं के मद्दे आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के प्रदान किए जाने से सम्बन्धित ये व्यवस्थाएं निम्नलिखित मामलों में भी लागू होंगी।

(क) जहां पर एक भारतीय निर्यातक विदेशी सरकार या विदेशी सार्वजनिक उपयोगिता के साथ वह संविदा करता है जिसके लिए कोई निविदा नहीं थी तो जिस तारीख को भारतीय निर्यातक ने 'प्रस्ताव' रखा था उस तारीख को संविदा की तारीख के बदले देय आयात प्रतिपूर्ति का निश्चय करने के लिए निर्णायक तारीख माना जाएगा।

(ख) जहां पर एक भारतीय निर्यातक उप-संविदा करता है, प्रधान संविदाकर्ता एक विदेशी पार्टी है और प्रधान संविदा के लिए कोई निविदा नहीं थी तो जिस तारीख को भारतीय निर्यातक ने 'प्रस्ताव' रखा था जिसके अनुसरण में ही उप-संविदा को अन्तिम रूप दिया गया है, उस तारीख को (संविदा की तारीख के बदले) देय आयात प्रतिपूर्ति का निश्चय करने के लिए निर्णायक तारीख माना जाएगा बशर्ते कि उप-संविदा में आए हुए भारतीय निर्यातक का नाम प्रधान संविदा में है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में आए हुए मामलों में, "प्रस्ताव" की तारीख को निर्णायक तारीख केवल तभी माना जाएगा यदि प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसे स्वीकार किए जाने की तारीखों के बीच कीमत में अन्तर नहीं आता है और अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन है। उन मामलों में जहां पर 'प्रस्ताव' की स्वीकृति की तारीख को अन्तर आ जाता है तो केवल बाद वाली तारीख को अर्थात् प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख को ही निर्णायक तारीख के रूप में माना जाएगा।

(घ) ऐसे मामलों में भारतीय निर्यातकों द्वारा अपने विधिवत् हस्ताक्षर करके "प्रस्तावों" की प्रमाणित प्रतियां सीलबन्द लिफाफों में पावती सहित पंजीकृत डाक से श्री के० एस० गुप्ता, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली के नाम में भेजी जानी चाहिए परन्तु "प्रस्ताव" की तिथि से किसी भी हालत में पांच दिन से अधिक नहीं होने चाहिएं । यदि प्रथम "प्रस्ताव" में कोई परिवर्तन होता है तो द्वितीय प्रस्ताव या बाद के 'प्रस्ताव' की विधिवत् हस्ताक्षरित एक प्रति उपर्युक्त नाम के अधिकारी को उसी तरीके से भेजनी चाहिए ।

(ङ) "प्रस्ताव" की अन्ति म स्वीकृति हो जाने और संविदा हस्ताक्षरित हो जाने की स्थिति में भारतीय निर्यातक को संविदा हस्ताक्षरित होने के 30 दिनों के भीतर संविदाओं के पंजीकरण के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार विदेशी मुद्रा के उस प्राधिकृत व्यापारी के साथ संविदा पंजीकृत करानी चाहिए जिसके माध्यम से सम्बन्धित निर्यात दस्तावेजों की समझौता-वार्ता की गई है । निर्यातक को संविदा की एक प्रमाणित प्रति उपर्युक्त नाम के नामित अधिकारी को भी संविदा हस्ताक्षरित हो जाने के 10 दिनों के भीतर पावती सहित पंजीकृत डाक से भेजनी चाहिए ।

(च) संविदा की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लिए जाने के बाद, पहले ही प्राप्त किए गए प्रस्ताव(वों) को निर्यातक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा और 'संविदा' की शर्तों से तुलना की जाएगी । यदि "प्रस्ताव" और "संविदा" में कोई भिन्नता नहीं होगी तो बकाया आयात संपूर्ति को निश्चित करने के लिए "प्रस्ताव" की तिथि निर्णायक तिथि मानी जायगी ।

(छ) उपर्युक्त (च) में संदर्भित "निर्णायक" तिथि का निश्चय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के अनुमोदन के अधीन और अन्य शर्तों तथा ऐसे मामलों के सम्बन्ध में समय समय पर लागू नीति और पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत पंजीकृत संविदाओं के लिए उपलब्ध लाभों के अधीन होगा ।

(ज) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या उपर्युक्त नाम का नामित अधिकारी इस नीति के अन्तर्गत दावे की पात्रता के विषय में निश्चय करने के लिए ऐसी कोई पूछताछ जो वह "प्रस्ताव" और "संविदा" के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, करने के लिए स्वतन्त्र होगा ।

(झ) 6 महीनों की निर्धारित न्यूनतम वितरण अवधि के प्रतिबन्ध का ऐसी संविदाओं के सम्बन्ध में त्याग किया जा सकता है और इससे कम वितरण अवधि वाली संविदाएं भी, यदि वे अन्य सब प्रकार से उचित होंगी तो पंजीकृत की जाएंगी ।

(4) उपर्युक्त उप-पैरा (2) तथा (3) में उल्लिखित शर्तें केवल उन्हीं मामलों में लागू होंगी जिनमें "उप-संविदा" या "प्रस्ताव" जो भी हो, इस सार्वजनिक सूचना की तिथि को या इस से बाद में किया जाएगा ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973